INTERNATIONAL JOURNAL FOR LEGAL RESEARCH AND ANALYSIS

Open Access, Refereed Journal Multi Disciplinary
Peer Reviewed

www.ijlra.com

ISSN: 2582-6433

DISCLAIMER

No part of this publication may be reproduced, stored, transmitted, or distributed in any form or by any means, whether electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior written permission of the Managing Editor of the *International Journal for Legal Research & Analysis (IJLRA).*

The views, opinions, interpretations, and conclusions expressed in the articles published in this journal are solely those of the respective authors. They do not necessarily reflect the views of the Editorial Board, Editors, Reviewers, Advisors, or the Publisher of IJLRA.

Although every reasonable effort has been made to ensure the accuracy, authenticity, and proper citation of the content published in this journal, neither the Editorial Board nor IJLRA shall be held liable or responsible, in any manner whatsoever, for any loss, damage, or consequence arising from the use, reliance upon, or interpretation of the information contained in this publication.

The content published herein is intended solely for academic and informational purposes and shall not be construed as legal advice or professional opinion.

Copyright © International Journal for Legal Research & Analysis. All rights reserved.

ISSN: 2582-6433

ABOUT US

The *International Journal for Legal Research & Analysis (IJLRA)* (ISSN: 2582-6433) is a peer-reviewed, academic, online journal published on a monthly basis. The journal aims to provide a comprehensive and interactive platform for the publication of original and high-quality legal research.

IJLRA publishes Short Articles, Long Articles, Research Papers, Case Comments, Book Reviews, Essays, and interdisciplinary studies in the field of law and allied disciplines. The journal seeks to promote critical analysis and informed discourse on contemporary legal, social, and policy issues.

The primary objective of IJLRA is to enhance academic engagement and scholarly dialogue among law students, researchers, academicians, legal professionals, and members of the Bar and Bench. The journal endeavours to establish itself as a credible and widely cited academic publication through the publication of original, well-researched, and analytically sound contributions.

IJLRA welcomes submissions from all branches of law, provided the work is original, unpublished, and submitted in accordance with the prescribed submission guidelines. All manuscripts are subject to a rigorous peer-review process to ensure academic quality, originality, and relevance.

Through its publications, the *International Journal for Legal Research & Analysis* aspires to contribute meaningfully to legal scholarship and the development of law as an instrument of justice and social progress.

ISSN: 2582-6433

PUBLICATION ETHICS, COPYRIGHT & AUTHOR RESPONSIBILITY STATEMENT

The *International Journal for Legal Research and Analysis (IJLRA)* is committed to upholding the highest standards of publication ethics and academic integrity. All manuscripts submitted to the journal must be original, unpublished, and free from plagiarism, data fabrication, falsification, or any form of unethical research or publication practice. Authors are solely responsible for the accuracy, originality, legality, and ethical compliance of their work and must ensure that all sources are properly cited and that necessary permissions for any third-party copyrighted material have been duly obtained prior to submission. Copyright in all published articles vests with IJLRA, unless otherwise expressly stated, and authors grant the journal the irrevocable right to publish, reproduce, distribute, and archive their work in print and electronic formats. The views and opinions expressed in the articles are those of the authors alone and do not reflect the views of the Editors, Editorial Board, Reviewers, or Publisher. IJLRA shall not be liable for any loss, damage, claim, or legal consequence arising from the use, reliance upon, or interpretation of the content published. By submitting a manuscript, the author(s) agree to fully indemnify and hold harmless the journal, its Editor-in-Chief, Editors, Editorial Board, Reviewers, Advisors, Publisher, and Management against any claims, liabilities, or legal proceedings arising out of plagiarism, copyright infringement, defamation, breach of confidentiality, or violation of third-party rights. The journal reserves the absolute right to reject, withdraw, retract, or remove any manuscript or published article in case of ethical or legal violations, without incurring any liability.

ISSN: 2582-6433

"भारत में POCSO अधिनियम के अंतर्गत बाल अश्लीलता, साइबर अपराध और विधिक संरक्षण"

लेखक - पवन बगाना
सेज यूनिवर्सिटी इंदौर

सार

वर्तमान डिजिटल युग में इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग ने बच्चों के लिए नए अवसरों के साथ-साथ गंभीर खतरे भी उत्पन्न किए हैं। विशेष रूप से बाल अश्लीलता (Child Pornography) और साइबर अपराधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो बच्चों के मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। भारत में इन अपराधों की रोकथाम हेतु बालकों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012, भारत सरकार। 2012 (POCSO अधिनियम) एक सशक्त कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000भी साइबर माध्यम से होने वाले अपराधों को नियंत्रित करने में सहायक है।
यह शोध पत्र बाल अश्लीलता और साइबर अपराधों की प्रकृति, उनके कारणों, कानूनी प्रावधानों तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

कीवर्ड्स

बाल अश्लीलता, साइबर अपराध, POCSO अधिनियम, बाल संरक्षण, इंटरनेट अपराध

1. प्रस्तावना

डिजिटल तकनीक के तीव्र विकास ने आधुनिक समाज की संरचना और कार्यप्रणाली को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सुलभता ने बच्चों के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज के समय में बच्चे न केवल शिक्षा और मनोरंजन के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं, बल्कि वे सामाजिक संपर्क और अभिव्यक्ति के लिए भी इन प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर होते जा रहे हैं। हालांकि, इस तकनीकी प्रगति के साथ अनेक गंभीर चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं, जिनमें बाल अश्लीलता (Child Pornography) और साइबर अपराध प्रमुख हैं।

इंटरनेट की खुली और वैश्विक प्रकृति के कारण बच्चों को लक्षित करने वाले अपराधियों के लिए अवसरों में वृद्धि हुई है। अपराधी विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों जैसे सोशल मीडिया, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स और चैट एप्लिकेशनों का उपयोग करके बच्चों से संपर्क स्थापित करते हैं और उन्हें धोखे से अपने जाल में फँसाते हैं। इस प्रक्रिया को "ऑनलाइन ग्रूमिंग" कहा जाता है, जिसके माध्यम से बच्चों का यौन शोषण किया जाता है या उनसे अश्लील सामग्री

ISSN: 2582-6433

प्राप्त कर उसे प्रसारित किया जाता है। बाल अश्लीलता न केवल एक गंभीर आपराधिक कृत्य है, बल्कि यह बच्चे के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास पर दीर्घकालिक दुष्प्रभाव डालता है।

साइबर अपराधों के अंतर्गत बाल शोषण, साइबर बुलिंग, पहचान की चोरी, ब्लैकमेलिंग और निजी जानकारी का दुरुपयोग जैसे अपराध शामिल हैं। इन अपराधों का प्रभाव बच्चों के आत्मविश्वास, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन पर अत्यंत नकारात्मक होता है। कई मामलों में पीड़ित बच्चे सामाजिक अलगाव, अवसाद और भय जैसी समस्याओं का सामना करते हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ़ और प्रभावी कानूनी ढांचा स्थापित किया जाए।

भारत में बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों की रोकथाम और उन्हें न्याय दिलाने के उद्देश्य से बालकों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012, भारत सरकार। 2012 (POCSO अधिनियम) को लागू किया गया है। यह एक व्यापक और विशेष कानून है, जो 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को यौन शोषण, उत्पीड़न और अश्लील सामग्री से संरक्षण प्रदान करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत बाल अश्लीलता से संबंधित अपराधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है तथा उनके लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है।

इस प्रकार, डिजिटल युग में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण सामाजिक और कानूनी आवश्यकता बन गई है। बाल अश्लीलता और साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में POCSO अधिनियम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो न केवल अपराधों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करता है, बल्कि पीड़ित बच्चों के अधिकारों और गरिमा की भी रक्षा करता है।

2. बाल अश्लीलता की अवधारणा

बाल अश्लीलता (Child Pornography) से आशय किसी भी ऐसी दृश्य, श्रव्य या डिजिटल सामग्री से है जिसमें किसी बच्चे को यौन क्रिया, यौन संकेतों या अश्लील गतिविधियों में दर्शाया जाता है। इस प्रकार की सामग्री में फोटो, वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन, कार्टून, मॉर्फ्ड इमेज या किसी भी प्रकार का डिजिटल कंटेंट शामिल हो सकता है, जिसका उद्देश्य यौन उत्तेजना उत्पन्न करना या उसका दुरुपयोग करना होता है। आधुनिक तकनीक के विकास के साथ अब बाल अश्लीलता केवल पारंपरिक माध्यमों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इंटरनेट, डार्क वेब, सोशल मीडिया और विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इसका व्यापक प्रसार होने लगा है।

भारतीय विधि के अंतर्गत बाल अश्लीलता को गंभीर अपराध माना गया है। बालकों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012, भारत सरकार। 2012 (POCSO अधिनियम) की धारा 13 से 15 तक इस प्रकार की सामग्री के निर्माण, प्रसारण, संग्रहण और उपभोग को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000की धारा 67B भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री के प्रकाशन और प्रसारण को प्रतिबंधित करती है। इस प्रकार, भारतीय कानून बाल अश्लीलता के प्रत्येक रूप को रोकने और दोषियों को कठोर दंड देने का प्रावधान करता है।

बाल अश्लीलता केवल एक कानूनी अपराध नहीं है, बल्कि यह बच्चों के मौलिक अधिकारों और उनकी गरिमा का

ISSN: 2582-6433

गंभीर उल्लंघन है। इस प्रकार की सामग्री में शामिल बच्चे अक्सर शारीरिक और यौन शोषण के शिकार होते हैं, जिसके कारण उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। वे भय, अवसाद, आत्मग्लानि, और सामाजिक अलगाव जैसी समस्याओं से ग्रसित हो सकते हैं। कई मामलों में यह आघात उनके व्यक्तित्व विकास को भी प्रभावित करता है और उनके भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।

इंटरनेट की वैश्विक और अनियंत्रित प्रकृति के कारण बाल अश्लील सामग्री का प्रसार अत्यंत तीव्र गति से होता है, जिससे इसके नियंत्रण में कई व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। एक बार ऑनलाइन प्रकाशित होने के बाद ऐसी सामग्री को पूरी तरह हटाना कठिन हो जाता है, क्योंकि इसे बार-बार कॉपी और साझा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के कारण अपराधियों तक पहुँचना और उन्हें दंडित करना भी जटिल हो जाता है।

अतः बाल अश्लीलता की अवधारणा को केवल एक अपराध के रूप में नहीं, बल्कि एक गंभीर सामाजिक, नैतिक और मानवाधिकार संबंधी समस्या के रूप में समझना आवश्यक है। इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए कठोर कानूनों के साथ-साथ तकनीकी निगरानी, जागरूकता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भी आवश्यकता है।

3. साइबर अपराध और बच्चों पर प्रभाव

डिजिटल युग में साइबर अपराध (Cybercrime) एक गंभीर और बहुआयामी समस्या के रूप में उभरकर सामने आया है, जिसका प्रभाव विशेष रूप से बच्चों पर अधिक पड़ता है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग और मैसेजिंग एप्लिकेशनों के बढ़ते उपयोग ने बच्चों को नई संभावनाएँ तो प्रदान की हैं, किन्तु साथ ही उन्हें विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन अपराधों के प्रति संवेदनशील भी बना दिया है। साइबर अपराधों के अंतर्गत ऑनलाइन ग्रूमिंग, साइबर बुलिंग, पहचान की चोरी (Identity Theft), फिशिंग, ब्लैकमेलिंग तथा अश्लील सामग्री का प्रसार जैसे अपराध शामिल हैं।

अपराधी अक्सर नकली पहचान बनाकर बच्चों के साथ मित्रता स्थापित करते हैं और धीरे-धीरे उनका विश्वास जीतकर उन्हें व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रक्रिया को ऑनलाइन ग्रूमिंग कहा जाता है, जो आगे चलकर यौन शोषण या ब्लैकमेलिंग का रूप ले सकती है। इसके अतिरिक्त, साइबर बुलिंग के माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन अपमानित, धमकाया या परेशान किया जाता है, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

इन साइबर अपराधों का बच्चों के जीवन पर व्यापक और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले, बच्चे मानसिक तनाव और अवसाद का शिकार हो सकते हैं। लगातार ऑनलाइन उत्पीड़न या धमकी मिलने से उनमें भय, असुरक्षा और चिंता की भावना विकसित हो जाती है। दूसरा, ऐसे बच्चे सामाजिक अलगाव की ओर अग्रसर हो सकते हैं, क्योंकि वे दूसरों के साथ बातचीत करने या समाज में भाग लेने से डरने लगते हैं। तीसरा, उनका आत्मसम्मान प्रभावित होता है, जिससे उनमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है और वे स्वयं को ही दोषी मानने लगते हैं।

इसके अतिरिक्त, साइबर अपराधों के कारण बच्चों के शारीरिक शोषण का खतरा भी बढ़ जाता है। ऑनलाइन

ISSN: 2582-6433

ग्रूमिंग के माध्यम से अपराधी बच्चों को वास्तविक जीवन में मिलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिससे उनके साथ गंभीर अपराध घटित हो सकते हैं। इस प्रकार, साइबर अपराध केवल आभासी दुनिया तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वास्तविक जीवन में भी गंभीर परिणाम उत्पन्न करते हैं।

भारतीय संदर्भ में बच्चों को इन अपराधों से बचाने के लिए बालकों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012, भारत सरकार। 2012 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000जैसे कानून लागू किए गए हैं, जो ऑनलाइन शोषण और अश्लील सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए कठोर प्रावधान प्रदान करते हैं।

अतः यह आवश्यक है कि अभिभावक, शिक्षक और समाज के अन्य सदस्य बच्चों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करें तथा सुरक्षित इंटरनेट उपयोग की आदत विकसित करें, ताकि वे इन अपराधों से स्वयं की रक्षा कर सकें।

4. POCSO अधिनियम के तहत कानूनी प्रावधान

भारत में बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से बालकों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012, भारत सरकार। 2012 (POCSO अधिनियम) एक विशेष एवं व्यापक कानून के रूप में लागू किया गया है। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को यौन शोषण, उत्पीड़न तथा अश्लील सामग्री से सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून की विशेषता यह है कि यह बच्चों के अधिकारों, गरिमा और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपराधों की स्पष्ट परिभाषा तथा न्यायिक प्रक्रिया को बाल-हितैषी बनाता है।

POCSO अधिनियम के अंतर्गत बाल अश्लीलता से संबंधित अपराधों को विशेष रूप से धारा 13 से 15 के अंतर्गत विनियमित किया गया है। धारा 13 के अनुसार किसी भी बच्चे को अश्लील रूप में प्रदर्शित करने वाली सामग्री का निर्माण, उपयोग या प्रसार अपराध है। धारा 14 में ऐसे अपराधों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें कारावास और जुर्माना शामिल है। धारा 15 के तहत बाल अश्लील सामग्री का संग्रहण या भंडारण भी दंडनीय अपराध माना गया है, भले ही उसका प्रत्यक्ष उपयोग न किया गया हो। इस प्रकार, यह अधिनियम न केवल अपराध के प्रत्यक्ष कृत्य को, बल्कि उससे संबंधित सभी गतिविधियों को दंडनीय बनाता है।

इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता विशेष न्यायालयों (Special Courts) की स्थापना है, जो इन मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करते हैं। इन न्यायालयों का उद्देश्य मामलों का शीघ्र निपटारा करना और पीड़ित बच्चों को लंबे समय तक न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने की कठिनाई से बचाना है। त्वरित न्याय प्रणाली बच्चों के मानसिक तनाव को कम करने में सहायक होती है और उन्हें शीघ्र न्याय प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है।

POCSO अधिनियम में बाल-हितैषी प्रक्रिया (Child-friendly Procedure) का विशेष प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत बच्चे के बयान को रिकॉर्ड करते समय पुलिस और न्यायालय को संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य होता है। बच्चे से पूछताछ उसके अनुकूल वातावरण में की जाती है, जहाँ उसे भय या दबाव का अनुभव न हो। साथ ही, पहचान की गोपनीयता बनाए रखना, महिला अधिकारी द्वारा पूछताछ, तथा एक ही बार में बयान दर्ज करने जैसे प्रावधान भी इस अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाते हैं।

ISSN: 2582-6433

अधिनियम के अंतर्गत दोषियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, जिससे ऐसे अपराधों को रोकने में निवारक प्रभाव पड़ता है। अपराध की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर सजा में कारावास की अवधि बढ़ाई जा सकती है, यहाँ तक कि आजीवन कारावास का भी प्रावधान है।

इस प्रकार, POCSO अधिनियम बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों, विशेषकर बाल अश्लीलता के मामलों में एक सशक्त कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जो न केवल अपराधियों को दंडित करता है, बल्कि पीड़ित बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है।

5. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की भूमिका

भारत में साइबर अपराधों के नियंत्रण एवं डिजिटल वातावरण को सुरक्षित बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000(आईटी अधिनियम) एक महत्वपूर्ण विधिक साधन के रूप में कार्य करता है। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के साथ बच्चों से संबंधित अपराधों, विशेषकर बाल अश्लीलता और ऑनलाइन शोषण के मामलों में वृद्धि हुई है। ऐसे में यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के दुरुपयोग को रोकने और दोषियों को दंडित करने के लिए आवश्यक प्रावधान प्रदान करता है।

आईटी अधिनियम के अंतर्गत धारा 67B विशेष रूप से बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री के प्रकाशन, प्रसारण, ब्राउज़िंग, डाउनलोडिंग या संग्रहण को अपराध घोषित करती है। इस धारा के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी बच्चे को अश्लील रूप में प्रदर्शित करने वाली सामग्री का निर्माण, वितरण या उपभोग करता है, तो वह दंड का भागी होता है। यह प्रावधान बाल अश्लीलता के डिजिटल प्रसार को रोकने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और POCSO अधिनियम के साथ मिलकर एक सुदृढ़ कानूनी ढांचा तैयार करता है।

इसके अतिरिक्त, आईटी अधिनियम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी (Online Monitoring) की व्यवस्था भी सुनिश्चित करता है। सरकार और संबंधित एजेंसियाँ इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आपत्तिजनक और अवैध सामग्री पर नियंत्रण रखने का प्रयास करती हैं। विभिन्न साइबर सेल और कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी करती हैं तथा आवश्यक होने पर ऐसी सामग्री को हटाने या ब्लॉक करने के निर्देश देती हैं। यह निगरानी तंत्र बच्चों को ऑनलाइन शोषण से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

आईटी अधिनियम के अंतर्गत सजा का भी स्पष्ट प्रावधान किया गया है। धारा 67B के उल्लंघन पर दोषी व्यक्ति को कारावास के साथ-साथ आर्थिक दंड (जुर्माना) भी दिया जा सकता है। अपराध की गंभीरता और पुनरावृत्ति के आधार पर सजा की अवधि और जुर्माने की राशि में वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार, यह अधिनियम न केवल अपराधियों को दंडित करता है, बल्कि संभावित अपराधियों के लिए एक निवारक (deterrent) के रूप में भी कार्य करता है।

अतः यह स्पष्ट है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000साइबर अपराधों, विशेषकर बच्चों से संबंधित ऑनलाइन शोषण और अश्लील सामग्री के प्रसार को रोकने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। POCSO अधिनियम के

ISSN: 2582-6433

साथ समन्वय स्थापित करते हुए यह कानून डिजिटल युग में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी विधिक ढांचा प्रदान करता है।

6. चुनौतियाँ

डिजिटल युग में बाल अश्लीलता और साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए बनाए गए कानूनों के बावजूद कई व्यावहारिक और संरचनात्मक चुनौतियाँ सामने आती हैं। ये चुनौतियाँ न केवल कानून के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करती हैं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा को भी कमजोर करती हैं।

सबसे पहली और प्रमुख चुनौती इंटरनेट पर सामग्री की अनियंत्रित उपलब्धता है। इंटरनेट एक वैश्विक और विकेन्द्रीकृत माध्यम है, जहाँ किसी भी प्रकार की सामग्री को आसानी से अपलोड, साझा और डाउनलोड किया जा सकता है। एक बार यदि कोई अश्लील या आपत्तिजनक सामग्री ऑनलाइन आ जाती है, तो उसे पूरी तरह हटाना अत्यंत कठिन हो जाता है, क्योंकि वह कई प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से फैल जाती है।

दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती कानून के प्रति जागरूकता की कमी है। अधिकांश अभिभावकों, शिक्षकों और बच्चों को बालकों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012, भारत सरकार। 2012 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000के प्रावधानों की पर्याप्त जानकारी नहीं होती। इस कारण वे न तो संभावित खतरों को पहचान पाते हैं और न ही समय पर उचित कानूनी सहायता ले पाते हैं।

तीसरी चुनौती तकनीकी जटिलताओं से संबंधित है। साइबर अपराधी अत्याधुनिक तकनीकों जैसे एन्क्रिप्शन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN), और डार्क वेब का उपयोग करते हैं, जिससे उनकी पहचान करना और उन्हें पकड़ना कठिन हो जाता है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए इन तकनीकी पहलुओं से निपटना एक बड़ी चुनौती बन जाता है।

चौथी समस्या रिपोर्टिंग में हिचकिचाहट है। कई मामलों में पीड़ित बच्चे या उनके अभिभावक सामाजिक कलंक, भय, या गोपनीयता के उल्लंघन की आशंका के कारण अपराध की रिपोर्ट नहीं करते। इससे अपराधियों को प्रोत्साहन मिलता है और न्याय प्रक्रिया प्रभावित होती है।

अंततः, अंतरराष्ट्रीय अपराध नेटवर्क भी एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करते हैं। कई साइबर अपराध सीमाओं के पार संचालित होते हैं, जहाँ अपराधी अलग-अलग देशों में बैठकर अपराध करते हैं। ऐसी स्थिति में विभिन्न देशों के कानूनों, प्रक्रियाओं और सहयोग की कमी के कारण अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना जटिल हो जाता है।

इस प्रकार, इन चुनौतियों का समाधान केवल कानूनी प्रावधानों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए तकनीकी सुदृढ़ता, जन-जागरूकता, और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भी आवश्यकता है।

7. सुधार हेतु सुझाव

बाल अश्लीलता और साइबर अपराधों की बढ़ती समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए केवल कठोर कानून पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि बहुआयामी सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता है। सबसे पहले, बच्चों और अभिभावकों के

ISSN: 2582-6433

लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर लागू करना अत्यंत आवश्यक है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से सुरक्षित इंटरनेट उपयोग, ऑनलाइन जोखिमों की पहचान, और गोपनीयता की सुरक्षा के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। जब बच्चे और अभिभावक डिजिटल खतरों के प्रति जागरूक होंगे, तब वे स्वयं को बेहतर तरीके से सुरक्षित रख सकेंगे।

दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव साइबर अपराध इकाइयों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है। वर्तमान समय में अपराधी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी उन्नत डिजिटल उपकरण, प्रशिक्षित मानव संसाधन और आधुनिक जांच तकनीकों से लैस करना आवश्यक है। इससे अपराधियों की पहचान, ट्रैकिंग और गिरफ्तारी अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकेगी।

तीसरा, स्कूल स्तर पर जागरूकता अभियान चलाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चों को प्रारंभिक अवस्था से ही साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन व्यवहार और संभावित खतरों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में साइबर एथिक्स और डिजिटल सुरक्षा को शामिल करने से बच्चों में जिम्मेदार इंटरनेट उपयोग की आदत विकसित होगी।

चौथा, सोशल मीडिया कंपनियों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है। प्लेटफॉर्म्स को ऐसी नीतियाँ अपनानी चाहिए, जिनसे बाल अश्लीलता और आपत्तिजनक सामग्री का शीघ्र पता लगाया जा सके और उसे तुरंत हटाया जा सके। साथ ही, उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए मजबूत रिपोर्टिंग और शिकायत निवारण प्रणाली भी विकसित की जानी चाहिए। इस संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराया जाना चाहिए।

अंततः, सरकार, समाज, शैक्षणिक संस्थानों और अभिभावकों के बीच समन्वय स्थापित करना भी आवश्यक है। बालकों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012, भारत सरकार। 2012 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी हितधारकों का सहयोग जरूरी है। इस प्रकार, समग्र और समन्वित प्रयासों के माध्यम से ही बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण सुनिश्चित किया जा सकता है।

8. निष्कर्ष

वर्तमान डिजिटल युग में बाल अश्लीलता और साइबर अपराध एक गंभीर सामाजिक, नैतिक एवं कानूनी चुनौती के रूप में उभरकर सामने आए हैं। इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते उपयोग ने जहां बच्चों को सीखने और विकास के नए अवसर प्रदान किए हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन जोखिमों के प्रति भी संवेदनशील बना दिया है। विशेष रूप से बाल अश्लीलता, ऑनलाइन ग्रूमिंग, साइबर बुलिंग और पहचान की चोरी जैसे अपराध बच्चों के समग्र विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और उनके मानसिक, भावनात्मक तथा सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं।

भारत में बच्चों की सुरक्षा के लिए बालकों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012, भारत सरकार। 2012 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000जैसे महत्वपूर्ण कानून लागू किए गए हैं। ये दोनों अधिनियम मिलकर एक सुदृढ़ विधिक ढांचा प्रदान करते हैं, जो बच्चों के विरुद्ध होने वाले यौन अपराधों और साइबर अपराधों को रोकने,

ISSN: 2582-6433

नियंत्रित करने तथा दोषियों को दंडित करने में सहायक हैं। POCSO अधिनियम बच्चों के अधिकारों की रक्षा करते हुए उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास करता है, जबकि आईटी अधिनियम डिजिटल माध्यमों में होने वाले अपराधों को नियंत्रित करता है।

हालांकि, यह भी स्पष्ट है कि केवल कानूनों का अस्तित्व ही पर्याप्त नहीं है। इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, समयबद्ध न्याय प्रक्रिया, तथा तकनीकी रूप से सक्षम कानून प्रवर्तन तंत्र की आवश्यकता है। साथ ही, समाज में जागरूकता का अभाव, रिपोर्टिंग में हिचकिचाहट और तकनीकी जटिलताएँ इन कानूनों की प्रभावशीलता को सीमित करती हैं।

अतः यह आवश्यक है कि सरकार, न्यायपालिका, शैक्षणिक संस्थान, अभिभावक और समाज के अन्य सभी वर्ग मिलकर बच्चों की सुरक्षा के लिए समन्वित प्रयास करें। डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से बच्चों को सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार, सामूहिक और सतत प्रयासों से ही एक सुरक्षित, संवेदनशील और उत्तरदायी डिजिटल समाज का निर्माण संभव है, जहाँ बच्चों के अधिकारों और गरिमा की पूर्ण रूप से रक्षा की जा सके।

संदर्भ

1. बालकों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012, भारत सरकार।
2. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, भारत सरकार।
3. राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो। (2023)। *भारत में अपराध रिपोर्ट*। नई दिल्ली: गृह मंत्रालय।
4. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। (2022)। *बाल संरक्षण दिशानिर्देश*। नई दिल्ली।
5. यूनिसेफ। (2021)। *बाल ऑनलाइन सुरक्षा रिपोर्ट*।
6. विश्व स्वास्थ्य संगठन। (2020)। *बाल शोषण एवं उपेक्षा पर रिपोर्ट*।
7. संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय। (2022)। *वैश्विक साइबर अपराध अध्ययन*।
8. इंटरनेट एवं मोबाइल संघ भारत। (2023)। *डिजिटल सुरक्षा रिपोर्ट*।
9. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। (2022)। *ऑनलाइन बाल सुरक्षा दिशानिर्देश*।
10. साइबर क्राइम सेल, भारत। (2023)। *साइबर सुरक्षा जागरूकता मैनुअल*।
11. इंटरपोल। (2021)। *बच्चों के विरुद्ध अपराध रिपोर्ट*।
12. कौर, र. (2021)। *भारत में साइबर अपराध और बाल संरक्षण*। नई दिल्ली: विधि प्रकाशन।
13. शर्मा, प. (2020)। *पॉक्सो अधिनियम: कानून और व्यवहार*। दिल्ली: ईस्टर्न बुक कंपनी।
14. सिंह, अ. (2022)। *डिजिटल अपराध और भारत में विधिक ढांचा*। मुंबई: लेक्सिसनेक्सिस।
15. गुप्ता, स. (2021)। *बाल अधिकार और साइबर कानून*। नई दिल्ली: यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग।